न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 180/2010 वाद

सत्यनारायण उर्फ कालू पिता लालचंद जाट, आयु 23 साल, निवासी किशनपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।

– वादी

//बनाम//

1. मु.चांदी बाई बेवा लालचंद जाट, आयु 50 साल, निवासी किशनपुरा।
2. मु.निर्मला बाई बेवा रामसिंह जाट, आयु 32 साल, निवासी जमालखेड़ा, हा.मु. पत्नी कैलाशचन्द्र जाट, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.का.अधि,
श्री अबरार अहमद, अधिवक्ता वादी, उपस्थित
श्री माणकलाल चपलोत, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, उपस्थित

निर्णय दिनांक 11.02.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी कि आराजीयात वाके मौजा जमालखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 84 की आराजीयात 34, 35, 110मीन, 111मीन, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 175, 220/194, 230/110, 237/177 कुल किता 14 कुल रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा कुल लगानी 50.35 रूपये भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम किशनपुरा पटवार गुडाखेडा की खाता संख्या 20 की आराजी नं. 12, 15, 41, 45, 22, 457, 458, 487, 543/374 कुल किता 9 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा कुल लगान 30.93 रूपये भूमि स्थित है जिसे वाद में आगे चलकर वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जाएगा। खाता संख्या 84 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 का नाम विलोपित किया जाए। इसी प्रकार खाता संख्या 20 की आराजीयात में वादी का 1/6 व

Signature Not Verified
Digitally Signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम विलोपित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 निर्मला बाई करीबन 10–12 वर्ष पूर्व कैलाशचन्द्र जाट निवासी रूपजी का खेड़ा से नाता विवाह कर चली गई है और उन्हीं के घर रह रही है और उनकी सम्पत्ति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। रामसिंह की बीवी होकर रामसिंह करीब 15 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। भूमि का बाहमी तौर पर बंटवारा कर रखा है परन्तु कोई बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दर्ज होने के कारण अन्य व्यक्तियों को खुर्द बुर्द हस्तान्तरित करने पर आमदा हैं तथा समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि का बंटवारा किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 का नाम विलोपित किया जावे तथा वादी का 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अन्य कोई सहायता न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 2 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा जमालखेड़ा की खाता संख्या 84 की आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है और किशनपुरा की खाता संख्या 20 में अंकित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 2 का 1/18 भाग दर्ज रेकार्ड है और इसी अनुसार काबिज काश्त है। वादी विवादित भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम विलोपित कराने का अधिकारी नहीं है। रामसिंह की मृत्यु होना स्वीकार है परन्तु वादी का प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि में किस प्रकार हक अधिकार निहित होता है, यह स्पष्ट नहीं है। वादी प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकार नहीं है।

काउण्टर क्लेम में प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही है तथा प्रतिवादी सख्या 2 के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नहीं करने ना किसी अन्य से कराने हेतु निवेदन किया है।

दावे, जवाब दावे और काउण्टर क्लेम के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई–

1– तनकी नं. 1:– आया वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात में वादी 1/3 हक हिस्सा घोषित कराने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है ?

– जिम्मे वादी

2– तनकी नं. 2:– आया वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात में अंकित प्रतिवादी संख्या 2 का नाम विलोपित करा कर वादी 1/9 हक हिस्से का बंटवारा कराने का अधिकारी है ?

– जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:57 IST
Reason: SelfAttested

3— तनकी नं. 3:— आया प्रतिवादी संख्या 2 अपना हक हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित मौजा जमालखेड़ा में 1/12 तथा मौजा किशनपुरा में 1/18 हिस्से पर काबिज काश्त है ?

— जिम्मे प्रतिवादी सं. 2

4— अनुतोष।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वाद में से बंटवारे की रिलीफ विद्ड्रा कर ली है तथा बंटवारा नहीं चाहा है। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2065—68 ग्राम किशनपुरा की खाता संख्या 20 प्रदर्श—1, ग्राम जमालखेड़ा की खाता संख्या 84 प्रदर्श—2, मतदाता पहचान पत्र एवं चांदी बाई का राशनकार्ड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में वादी सत्यनारायण पीडब्ल्यु—1, बछराज पिता किशनलाल जाट निवासी नयी आबादी किशनपुरा पीडब्ल्यु—2, शौभालाल पिता राम जी जाट निवासी किशनपुरा पीडब्ल्यु—3 एवं गौरीलाल पिता कालू जाट निवासी किशनपुरा पीडब्ल्यु—4 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं तथा न्यायालय में बयान करवाये हैं। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौखिक साक्ष्य में भी निर्मला बाई ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया और न्यायालय में उपस्थित होकर बयान दिये हैं। अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्ष्य व गवाही के उपरान्त तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है—

1— तनकी नं. 1:— इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इसे साबित करने के लिए राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां एवं मौखिक साक्ष्य में स्वयं के साथ 3 स्वतन्त्र गवाहों के बयान भी न्यायालय के समक्ष करवाये हैं। प्रश्नगत आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त हिस्सा अन्य खातेदारान के साथ दर्ज रेकार्ड है। वादी ने लिखित बहस में भी अंकित किया है कि निर्मला बाई का विवाह 3 वर्ष की आयु में उसके भाई रामलाल के साथ हुआ था जिसकी आयु 5 वर्ष थी। बाल विवाह होने के कारण निर्मला बाई कभी भी ग्राम किशनपुरा में रामलाल के पास बहैसियत पत्नी आकर नहीं रही तथा कुछ समय बाद अल्पायु में ही रामलाल की मृत्यु हो गई तो रामलाल की विरासत से अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि मौके पर कभी भी कब्जे का कोई हस्तान्तरण नहीं हुआ है। मौके पर प्रारम्भ से ही वादी व उसकी माता चांदी बाई का ही कब्जा चला आ रहा है। मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यु—2 से 4 तक स्वतन्त्र गवाह हैं जिन्होंने शपथ पत्र में बयान देते हुए न्यायालय में सशपथ बयान किया है कि विवादित भूमि पर निर्मला बाई कभी नहीं आई। ना ही कभी काश्त करते हुए देखी गई है। विवादित भूमि पर वादी व चांदी बाई का ही कब्जा काश्त है। इसके साथ ही निर्मला बाई का नाता विवाह होकर कैलाशचन्द्र के साथ बतौर पत्नी निवास करना भी सभी गवाहों

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:57 IST
Reason: SelfAttested

ने बताया है जिसका निर्मला बाई की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। बिना पत्नी की हैसियत से रामलाल के साथ रहे, मात्र बाल विवाह के आधार पर बिना कब्जा हस्तान्तरण किये निर्मला बाई द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज कराना प्राकृतिक न्याय सिंद्धांतों के विरूद्ध भी है और बिना कब्जा हस्तान्तरण के किसी भी प्रकार के हक हस्तान्तरित नहीं होते हैं। इस प्रकार बिना विधिक प्रक्रिया के नाम अंकित होना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार रामलाल की पत्नी के रूप में विधिवत पत्नी बने बिना बाल विवाह के आधार पर हक अधिकार उत्पन्न होना भी हमारे विनम्र मत में उचित नहीं है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ने अन्यत्र विवाह भी कर लिया है और कैलाशचन्द्र की सम्पत्ति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग भी करती चली आ रही है। इस प्रकार पुश्तैनी सम्पत्ति में बहु का हक अधिकार पुत्र के मुकाबले नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त वादी के कथनों को निष्पक्ष गवाहों ने भी प्रमाणित किया है जिनमें गांव के बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल हैं जिनकी आयु 50 से 70 वर्ष तक की है। वादी का एडवर्स पजेशन साबित होता है। प्रतिवादी निर्मला बाई ने किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही कोई स्वतन्त्र गवाह प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में वादी अपने हिस्से की तनकी को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है इसलिए तनकी नं. 1 का निर्णय वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

2– तनकी नं. 2:– इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर था परन्तु वादी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बंटवारे की सहायता नहीं चाही है। ऐसी स्थिति में तनकी नं. 2 को पृथक से साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

3– तनकी नं. 3:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जिम्मे की तनकी को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। स्वयं के शपथ पत्र के अलावा अन्य कोई गवाह भी प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अपने हित में दिये गये स्वयं के बयानों को बिना किसी पर्याप्त आधार के माना नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के व बिना स्वतन्त्र गवाहों के प्रतिवादी संख्या 2 अपने पक्ष को साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। ऐसी स्थिति में तनकी नं. 3 का निर्णय खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 तय किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:57 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार उपर्युक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि वादी अपने पक्ष को साक्ष्य व गवाही के आधार पर साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रही है। इसलिए साक्ष्य व गवाही के उपरान्त तथा बहस व जिरह में प्रकट तथ्यों के आधार पर वादी का दावा डिक्री योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा जमालखेड़ा की साबिक खाता संख्या 84 की आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 2 निर्मला बाई का नाम विलोपित करने का आदेश दिया जाता है तथा निर्मला बाई के नाम दर्ज हिस्सा संयुक्त रूप से वादी सत्यनारायण व प्रतिवादी संख्या 1 चांदी बाई के नाम खातेदारी का घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम किशनपुरा की साबिक खाता संख्या 20 की आराजीयात में निर्मला बाई का नाम विलोपित करने का आदेश दिया जाता है तथा उसके नाम दर्ज हिस्सा सत्यनारायण उर्फ कालु तथा मु. चांदी बेवा लालचंद के नाम खातेदारी घोषित किया जाता है। निर्मला का नाम रेकार्ड से हटाया जावे तथा निर्मला बाई के नाम दर्ज हिस्सा बराबर–बराबर सत्यनारायण उर्फ कालु तथा मु. चांदी बेवा लालचंद जाट के नाम दर्ज किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपन वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 11.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:57 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 180/2010 वाद

सत्यनारायण उर्फ कालू पिता लालचंद जाट, आयु 23 साल, निवासी किशनपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।

– वादी

//बनाम//

1. मु.चांदी बाई बेवा लालचंद जाट, आयु 50 साल, निवासी किशनपुरा।
2. मु.निर्मला बाई बेवा रामसिंह जाट, आयु 32 साल, निवासी जमालखेड़ा, हा.मु. पत्नी कैलाशचन्द्र जाट, निवासी रूपजी का खेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.का.अधि,

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अबरार अहमद की तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री माणकलाल चपलोत की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा जमालखेड़ा की साबिक खाता संख्या 84 की आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 2 निर्मला बाई का नाम विलोपित करने का आदेश दिया जाता है तथा निर्मला बाई के नाम दर्ज हिस्सा संयुक्त रूप से वादी सत्यनारायण व प्रतिवादी संख्या 1 चांदी बाई के नाम खातेदारी का घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम किशनपुरा की साबिक खाता संख्या 20 की आराजीयात में निर्मला बाई का नाम विलोपित करने का आदेश दिया जाता है तथा उसके नाम दर्ज हिस्सा सत्यनारायण उर्फ कालु तथा मु. चांदी बेवा लालचंद के नाम खातेदारी घोषित किया जाता है। निर्मला का नाम रेकार्ड से हटाया जावे तथा निर्मला बाई के नाम दर्ज हिस्सा बराबर–बराबर सत्यनारायण उर्फ कालु तथा मु. चांदी बेवा लालचंद जाट के नाम दर्ज किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपन वहन करें।

यह आज तारीख 11.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:57 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official